अनुदान संख्या–79
13 अंकों का कोड–2225030010300
अधिष्ठान व्यय हेतु आबंटन 2017–18

प्रेषक,

निदेशक,
पिछड़ा वर्ग कल्याण,
उत्तर प्रदेश,लखनऊ।

सेवा में,

आहरण वितरण अधिकारी/,
जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी,
सहारनपुर, मेरठ, अलीगढ़, आगरा, बरेली, मुरादाबाद, कानपुर नगर, इलाहाबाद, झांसी, वाराणसी, मिर्जापुर, गोरखपुर, बस्ती, आजमगढ़, लखनऊ, फैजाबाद, गोण्डा (देवीपाटन मण्डल) एवं बांदा (चित्रकूट मण्डल) (18 मण्डल)

पत्रांक/003–मण्डल/1266/पि0व0क0/अधि0आवं0/2017–18 लखनऊःदिनांकः 18 सितम्बर, 2017

विषयः वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017–18 के आय–व्ययक की अनुदान संख्या 79 के लेखाशीर्षकः '2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण–03–पिछड़े वर्गो का कल्याण–001–निदेशन तथा प्रशासन–03–मुख्यालय/मण्डलीय/जिला कार्यालयों का अधिष्ठान' मदों के व्यय हेतु धनराशि का आवंटन।

महोदय,

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017–18 में अधिष्ठान मद में शासन के आदेश संख्या–08/2017/652/ 64–2–2017–1 (01)/2017 दिनांक 14 अगस्त, 2017 द्वारा निदेशालय के अधिष्ठान मद में चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 के आय–व्ययक की अनुदान संख्या–79 के अन्तर्गत अन्तिम रूप से व्यवस्थित धनराशि रू0 1825.39 के सापेक्ष धनराशि रू0 1089.76 लाख (रू0 दस करोड़ नवासी लाख छिहत्तर हजार मात्र) की स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त स्वीकृत धनराशि में से संलग्न विवरण के अनुसार मण्डलीय कार्यालयों को व्यय हेतु रू0 64,59,324.00 (रूपया चौसठ लाख उनसठ हजार तीन सौ चौबीस मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तो एवम् प्रतिबन्धों के अधीन आबंटित की जाती हैः–

1– स्वीकृत धनराशि का आहरण एवम् व्यय वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या– 01/2017/बी–1–02/दस–2017–231/2017, दिनांक 02 जनवरी, 2017 एवं शासनादेश संख्या– संख्या–03/ 2017/बी–1–248/दस–2017–231/2017 दिनांक 20 मार्च, 2017 में दी गयी शर्तों/दिशा निर्देशों को पूर्णतया ध्यान में रखते हुए तथा उसमें उल्लिखित संगत शर्तों/प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन करते हुए ही किया जायेगा।

2– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2017–18 के आय–व्ययक की अनुदान संख्या–79 के लेखाशीर्षक '2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण–03–पिछड़े वर्गो का कल्याण– 001– निदेशन तथा प्रशासन–03– मुख्यालय/ मण्डलीय/जिला कार्यालय' के अन्तर्गत सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

3– आबंटित धनराशि का व्यय प्रत्येक दशा में वर्तमान वित्तीय वर्ष तक सुनिश्चित किया जाये। किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितताओं के लिए संबन्धित आहरण वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।

4– आबंटित धनराशि का व्यय किसी ऐसे मद में कदापि न किया जाय, जिसके लिए वित्तीय हस्त–पुस्तिका तथा बजट मैनुअल के अन्तर्गत शासन या सक्षम अधिकारी की स्वीकृति व सहमति आवश्यक है। ऐसे व्यय शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति व सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जाये। आपको पुनः स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त धनराशि की प्राप्ति की प्रत्याशा में अनाधिकृत एवं अधिक व्यय कदापि न किया जाय एवं व्यय आवंटित धनराशि तक ही सीमित रखा जाये।

5– समय–समय पर निर्गत मितव्ययिता संबंधी आदेशों का पालन विशेष रूप से किया जाय। यह उल्लेखनीय है कि शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितांत आवश्यक है। अतः यात्रा व्यय, कार्यालय व्यय, टेलीफोन पर व्यय एवं मोटर गाड़ियों के अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद की मदों के अन्तर्गत व्यय करते समय मितव्ययिता किये जाने के संबंध में समय–समय पर निर्गत शासनादेशों में निहित निर्देशों को सम्मिलित करते हुए वित्त संसाधन (विविध) अनुभाग के शासनादेश संख्या : 2163/10सचि0/(1)/91, दिनांक 10–12–1991 में उल्लिखित निर्णयों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये। कृपया इन मदों में बचत एवं उपभोग की सूचना यथासमय उपलब्ध कराना होगा।

6– कोषागार से आहरित धनराशि का विवरण प्रत्येक माह की 10 तारीख तक, बी0एम0–8 में अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाय। इस विवरण में कोषागार बाऊचर संख्या तथा दिनांक एवं धनराशि का उल्लेख अवश्य किया जाये।

7– आहरण वितरण अधिकारी को अगली बार बजट तभी आवंटित किया जायेगा जब उपर्युक्तानुसार बी0एम0–8 में सूचना प्राप्त हो जायेगी।

8– आबंटित धनराशि का व्यय आपके कार्यालय में स्वीकृत कर्मियों की संख्या के अनुसार ही किया जायेगा।

9– यदि बी0एम0–8 में सूचना नहीं भेजी जाती है तो गबन आदि की कोई घटना होने पर संबंधित आहरण–वितरण अधिकारी जिम्मेदार होंगे।